

अध्याय-II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि ✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर-कर प्राप्तियों में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि¹⁹ ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 13.85 प्रतिशत की कमी ✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 2.45 प्रतिशत की कमी
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 0.96 प्रतिशत की कमी ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.21 प्रतिशत की कमी ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.73 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.62 प्रतिशत की कमी ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 19.83 प्रतिशत की वृद्धि
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूंजीगत व्यय में 3.95 प्रतिशत की कमी ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 27.03 प्रतिशत की कमी ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 0.70 प्रतिशत की कमी ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 3.03 प्रतिशत की कमी
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 66.37 प्रतिशत की कमी ✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 6.17 प्रतिशत की वृद्धि
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 43.05 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक ऋण की अदायगी में 8.13 प्रतिशत की वृद्धि
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 2.70 प्रतिशत की कमी ✓ लोक लेखा से संवितरण में 21.66 प्रतिशत की वृद्धि (मुख्यतः निक्षेप निधि के अन्तर्गत ₹ 71,180.23 करोड़ के अवशेष के गैर कर राजस्व में बुक अन्तरण के कारण)
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 31 मार्च 2019 की तुलना में 31 मार्च 2020 को नकद शेष और निवेश में ₹ 5,469 करोड़ (20.32 प्रतिशत) की कमी।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह खंड वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान के राज्य की निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है।

¹⁹ मार्च 2020 में बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के निक्षेप निधि के बुक बैलेंस ₹ 71,180.23 करोड़ का करेतर राजस्व में अन्तरण सम्मिलित है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों यथा राजस्व प्राप्तियों²⁰ और पूंजीगत प्राप्तियों²¹ में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा, लोक लेखा से संवितरण के बाद इसमें उपलब्ध निधियों से सरकार द्वारा इसे अपने घाटे के वित्तीयन के लिए भी उपयोग किया जाता है।

2015-20 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आँकड़े परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं। निम्नलिखित तालिका 2.1 राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों को प्रदर्शित करता है।


तालिका 2.1: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

विवरण		2018-19 (₹ करोड़ में)	2019-20 (₹ करोड़ में)	वृद्धि / कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	11,481	26,912	134.40
	राजस्व प्राप्तियाँ	3,29,978	3,66,393	11.04
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	5,313	5,641	6.17
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल) ²²	30,878	51,408	66.49
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	19,922	(-) 68,590	(-) 444.29
	आकस्मिकता निधि	230	662	187.83
	योग	3,97,802	3,82,426	(-) 3.87
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	3,01,728	2,98,833	(-) 0.96
	पूंजीगत व्यय	62,463	59,998	(-) 3.95
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	6,303	2,120	(-) 66.37
	आकस्मिकता निधि	396	32	(-) 91.92
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	26,912	21,443	(-) 20.32
	योग	3,97,802	3,82,426	(-) 3.87

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.2.1 वर्ष 2019-20 दौरान संचित निधि के अन्तर्गत निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1 वर्ष 2019-20 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग



²⁰ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

²¹ पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूली, ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

²² लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ 73,808.69 करोड़) – लोक ऋण की अदायगी (₹ 22,400.61 करोड़)

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है :

- (i) **राजस्व प्राप्तियों** के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
- (ii) **पूंजीगत प्राप्तियों** के अन्तर्गत विविध पूंजी प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण की प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।


राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग होते हैं।

- (iii) **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** इसके अन्तर्गत जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो संचित निधि के अंग नहीं हैं, के संबंध में प्राप्तियां और संवितरण हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं राज्य विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। इसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद अवशेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियां का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियां के संघटन का विवरण



वर्ष 2019-20 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 3,77,915 करोड़ थी। इसमें ₹ 3,66,393 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 79,450 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां,

(-) ₹ 68,590 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ²³ और ₹ 662 करोड़ की आकस्मिकता निधि की प्राप्ति सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,22,826 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 81,705 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 1,17,818 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 44,044 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,641 करोड़ की गैर ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 73,809 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,66,393 करोड़ थी जो विगत वर्ष की तुलना में 11.04 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के अवशेष के संचित निधि के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के कारण वर्ष के दौरान करेतर राजस्व काफी अधिक था।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्तियों²⁴ में बिना वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के अन्तरित कर दिया। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका 2.2 (अ) और तालिका 2.2 (ब) में प्रस्तुत किया गया है एवं चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4 में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 (अ): राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978	3,66,393
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.40	13.12	8.53	18.37	11.04
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	81,106	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	23,135	28,944	19,795	30,101	81,705
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर और करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	10.77	10.23	1.98	28.19	36.15
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.35	5.99	13.29	23.34	2.25
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी) (वर्तमान मूल्य पर)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.96	19.91	19.09	19.78	20.42
उछाल अनुपात ²⁵					
जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उछाल	1.40	0.98	0.65	1.29	1.46
जीएसडीपी के संबंध में राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.87	0.76	0.15	1.98	4.78
जीएसडीपी के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	0.75	0.45	1.01	1.64	0.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 सरकार

²³ निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचंच एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

²⁴ मुख्य शीर्ष 0075-800 (विभिन्न सामान्य सेवायें) के अन्तर्गत।

²⁵ उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

तालिका 2.2 (ब): राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (निक्षेप निधि के अवशेष के करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण प्राप्तियों को छोड़कर)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,22,377	2,52,729	2,74,353	3,17,285	2,95,213
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.39	13.65	8.56	15.65	(-6.96)
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	81,106	85,966	97,393	1,20,122	1,22,826
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	18,436	24,798	15,373	17,408	10,525
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.35	5.99	13.29	23.34	2.25
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर और करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	10.47	11.27	1.81	21.96	(-3.04)
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	19.54	19.59	18.79	19.02	16.45
उछाल अनुपात					
जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उछाल	1.40	1.02	0.65	1.10	(-0.92)
जीएसडीपी के संबंध में राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.84	0.84	0.14	1.54	(-0.40)
जीएसडीपी के सम्बन्ध में राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	0.75	0.45	1.01	1.64	0.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ०प्र० सरकार

(i) वित्त लेखों के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण, जिसका विवरण तालिका 2.2(अ) में दिया गया है, से उद्घाटित हुआ कि:

- वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,66,393 करोड़ थी। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 12.71 प्रतिशत थी।
- 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2015-16 में 17.40 प्रतिशत थी जो 2017-18 में घटकर 8.53 प्रतिशत हो गई, 2018-19 में बढ़कर 18.37 प्रतिशत हो गई और पुनः 2019-20 में घटकर 11.04 प्रतिशत हो गयी।

• विगत वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि करेतर राजस्व में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ii) व्युत्पन्न आँकड़ों (निक्षेप निधि के अवशेष के करेतर राजस्व में अंतरण के कारण प्राप्तियों को छोड़कर) के विश्लेषण, जिसका विवरण तालिका 2.2 (ब) में किया गया है, से उद्घाटित हुआ कि:


• राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 2,95,213 करोड़ परिकलित की गईं और वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की वास्तविक वृद्धि दर (-) 6.96 प्रतिशत परिकलित की गईं।

• विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि करेतर राजस्व में 39.54 प्रतिशत की कमी आई थी।


• राजस्व उछाल जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.2 (अ) से देखा जा सकता है, राजस्व उछाल जो वर्ष 2018-19 के दौरान 1.29 था, वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1.46 हो गया। तथापि, यदि करेतर राजस्व में निक्षेप निधि की प्राप्तियों को छोड़ दिया जाये तो वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व उछाल (-) 0.92 प्रतिशत एवं स्वयं

का राजस्व उछाल (-) 0.40 हो जायेगा जैसा कि तालिका 2.2 (ब) में दर्शाया गया है। इसका आशय यह है कि वर्ष 2019-20 की अवधि में जब जीएसडीपी में एक आधार इकाई की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के कर राजस्व ने क्रमशः 0.92 आधार इकाई एवं 0.40 आधार इकाई की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाया।

चार्ट 2.3: वर्ष 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों/जीएसडीपी



चार्ट 2.4: वर्ष 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति




2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2015–20 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

2.3.3.1 स्वयं के कर राजस्व

वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,22,826 करोड़ था। 2015–20 की अवधि के दौरान, यह 2015–16 के ₹ 81,106 करोड़ से 51.44 प्रतिशत (₹ 41,720 करोड़) बढ़कर 2019–20 में ₹ 1,22,826 करोड़ हो गया। स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: 2015–20 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



2015–20 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: 2015-20 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियें

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	राजस्व मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	47,692	51,883	31,113	23,798	20,517	
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	-	25,374	46,108	47,232	
3.	राज्य आबकारी	14,084	14,274	17,320	23,927	27,325	
4.	वाहनों पर कर	4,410	5,148	6,404	6,929	7,715	
5.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	12,404	11,564	13,398	15,733	16,070	
6.	भू राजस्व	505	760	1,336	631	504	
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,338	1,556	2,124	2,978	3,453	
8.	अन्य कर	673	781	324	18	10	
	योग	81,106	85,966	97,393	120,122	122,826	

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2019-20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.25 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य आबकारी (₹ 3,398 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 786 करोड़) और विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 475 करोड़) में वृद्धि के कारण थी जो कि वर्ष 2018-19 की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹ 3,281 करोड़ की कम प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी थी क्योंकि यह कर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) जो 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित हुआ था, में समाहित हो गया।
- वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अन्तर्गत कम प्राप्तियाँ वैट की कम प्राप्तियों (₹ 3,095.30 करोड़) और बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों से अधिक वापसी (₹ 147.44 करोड़) के कारण हुई।
- वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह में ₹ 1,124 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राज्य आबकारी में वृद्धि मुख्यतः देशी स्प्रिट (₹ 12,890 करोड़), माल्ट शराब (₹ 4,072 करोड़) तथा विदेशी शराब एवं स्प्रिट (₹ 10,071 करोड़) की बिक्री के कारण थी। राज्य आबकारी नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिये प्रोसेसिंग शुल्क, फुटकर विक्रेताओं के लिये नवीनीकरण शुल्क तथा देशी शराब की न्यूनतम गारण्टी मात्रा आदि में वृद्धि किया।
- स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि गैर-न्यायिक स्टाम्प की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- विद्युत पर कर एवं शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक संग्रह के कारण हुई।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल रसीद पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। इसमें कमी मुख्य रूप से 1 जुलाई 2017 से इन करों का वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलन के कारण हुई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015–16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2019–20 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 56,342 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रूप में ₹ 47,232 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी में राज्य के अंश के रूप में ₹ 2,457 करोड़ सम्मिलित हैं। एसजीएसटी की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 340 करोड़ आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन के समाधान के रूप में भारत सरकार को अन्तरित किया गया। राज्य सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन से राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 5,180 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया।

जीएसटी के संग्रह के स्वचालन के साथ, जीएसटीएन परिसर में अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। अग्रेतर, निर्णय को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में थी। इसलिए, जीएसटीएन डेटा तक लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान किये जाने के भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लम्बित रहने से वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार के लेखे को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर उसी प्रकार प्रमाणित किया गया है, जैसे तब किया जाता था जब अभिलेखों का रखरखाव मैनुअली किया जाता था।

2.3.4 करेतर राजस्व

वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 81,705 करोड़ थी, जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 171.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। तथापि, यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को राजस्व प्राप्ति खाते²⁶ में अन्तरित करने के कारण था।

वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.4 में दिया गया है।

²⁶ निक्षेप निधि से शीर्ष 0075–800–04 के अन्तर्गत प्राप्तियां।

तालिका 2.4: 2015-20 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	633	1,165	1,093	1,712	1,469	
(ii) लाभांश एवं लाभ	43	86	31	175	39	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ						
(क) विभिन्न सामान्य सेवाएं	4,949	4,460	4,841	13,678	72,044	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,222	1,548	3,259	3,165	2,181	
(ग) ऊर्जा	1,322	2,939	4,696	5,735	1,044	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	652	783	953	909	1,024	
(ङ) सड़क एवं पुल	652	929	366	932	707	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	10,652	14,092	432	381	480	
(छ) अन्य एवं विविध	3,010	2,942	4,124	3,413	2,717	
योग	22,459	27,693	18,671	28,213	80,197	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	23,135	28,944	19,795	30,101	81,705	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान करेतर राजस्व में समग्र वृद्धि मुख्य रूप से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेंस के संचित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के निवल प्रभाव के कारण थी। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभावी रूप से करेतर राजस्व के रूप में प्राप्तियां ₹ 10,525 करोड़ (निक्षेप निधि के बुक बैलेंस के अन्तरण को छोड़कर) थी, जो कि पिछले वर्ष 2018-19 के करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थीं। वर्ष 2019-20 के दौरान करेतर राजस्व में कमी ऊर्जा में ₹ 4,691 करोड़ (81.80 प्रतिशत), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹ 984 करोड़ (31.09 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियाँ में ₹ 243 करोड़ (14.19 प्रतिशत) एवं लाभांश और लाभ में ₹ 136 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की कमी के कारण थी। अलौह खनन राजस्व में कमी का कारण मुख्य रूप से खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी से कम प्राप्ति के कारण था, जबकि ऊर्जा (करेतर राजस्व) में कमी उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शेयर पूंजी के लिए भारत सरकार से कम प्राप्ति के कारण थी।

2.3.4.1 केन्द्र सरकार से अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आदि हैं।

पांच वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश की प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.5 में दी गयी है।

तालिका 2.5: 2015-20 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर का अन्तरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	-	1,718	33,757	33,434
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	12,212	2,694	0
निगम कर	28,603	35,099	37,043	47,563	40,171
निगम कर से भिन्न आय पर कर	19,815	24,394	31,280	35,028	31,477
सीमा शुल्क	14,587	15,098	12,208	9,695	7,468

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12,206	17,241	12,761	6,442	5,192
सेवा कर	15,681	17,515	13,719	1,252	0
अन्य कर ²⁷	82	81	(-)2	335	76
केन्द्रीय कर अन्तरण	90,974	1,09,428	1,20,939	1,36,766	1,17,818
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	36.55	20.28	10.52	13.09	(-)13.85
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	40.06	42.60	43.38	41.45	32.16

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 की तुलना में ₹ 18,948 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की कमी आयी। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 32.16 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार से कुल अन्तरण (कर अन्तरण और सहायता अनुदान सहित) में 2018–19 की तुलना में 9.95 प्रतिशत (₹ 17,893 करोड़) की कमी आयी।

2.3.4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2015–20 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेतर अनुदान	8,274	9,335	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,933	232	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान ²⁸	16	56	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	21,638	22,914	-	-	-
विशेष आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं (सीएसएस) हेतु अनुदान	-	-	27,731	31,250	25,824
वित्त आयोग अनुदान	-	-	8,849	9,318	12,965
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	-	-	4,068	2,421	5,255
योग	31,861	32,537	40,648	42,989	44,044
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 2.54	2.12	24.93	5.76	2.45
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	14.03	12.67	14.58	13.03	12.02

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

²⁷ इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

²⁸ 2017–18 से 2019–20 के दौरान कोई आकड़े नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2017–18 से आयोजनागत एवं आयोजनेतर अनुदान के नामकरण को सीएसएस हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों के अन्य अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया था।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2015-20 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2015-16 में ₹ 31,861 करोड़ से 38.24 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 44,044 करोड़ हो गई। अग्रेतर, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में सहायता अनुदान में 2.45 प्रतिशत (₹ 1,055 करोड़) की मामूली वृद्धि हुई। राज्य सरकार को केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 25,824 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 17.36 प्रतिशत कम थे। वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त आयोग अनुदानों और अन्य अन्तरणों में क्रमशः ₹ 3,647 करोड़ (39.14 प्रतिशत) और ₹ 2,834 करोड़ (117.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.4.3 चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

XIVवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए राज्य को अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2015-20 के दौरान स्वीकृत तथा प्राप्त धनराशि का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2015-20 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त चौदहवें वित्त आयोग अनुदान (₹ करोड़ में)

XIVवें वित्त आयोग की अनुशंसायें				भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान):									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	24,936.52	10,840.04	35,776.56		9,659.47			9,659.47	
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	7,113.03	3,136.18	10,249.21	29,303.95	2,455.99	41,419.41	25,480.15	2,455.99	37,595.61
स्थानीय निकायों के लिये योग	32,049.55	13,976.22	46,025.77	29,303.95	12,115.46	41,419.41	25,480.15	12,115.46	37,595.61
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	2,909	820	3,729 ²⁹	1,947.46	849.30	2,796.76	1,947.45	849.30	2,796.75
कुल योग	34,958.55	14,796.22	49,754.77	31,251.41	12,964.76	44,216.17	27,427.60	12,964.76	40,392.36

स्रोत: XIVवें-वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित कुल अनुदान ₹ 46,025.77 करोड़ के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 41,419.41 करोड़ प्राप्त हुए; इस प्रकार राज्य सरकार को ₹ 4,606.36 करोड़ की धनराशि कम प्राप्त हुई। अग्रेतर, राज्य सरकार ने 2015-20 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 37,595.61 करोड़ अवमुक्त किए; इस प्रकार राज्य सरकार ने ₹ 3,823.80 करोड़ की धनराशि कम अवमुक्त किया। यह अल्पअन्तरण वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि से सम्बन्धित था। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान में राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

अग्रेतर, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार केंद्र और राज्य के मध्य 75:25 अनुपात के साझेदारी पैटर्न के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अन्तर्गत ₹ 2,796.75 करोड़ की सहायता अनुदान के लिए पात्र थी।

²⁹ कुल अनुदान के 25 प्रतिशत के राज्यांश सहित

राज्य सरकार को उपर्युक्त धनराशि प्राप्त हुई जो एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दी गई। राज्य सरकार ने भी 2015-20 की अवधि के दौरान अपने राज्य के अंश का 25 प्रतिशत ₹ 918.09 करोड़ इस निधि में जमा किया।

2.3.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में 2019-20 में ₹ 22,541 करोड़ की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 39.61 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, आंतरिक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 42.85 प्रतिशत (₹ 21,763 करोड़) की वृद्धि हुई थी। 2015-20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव आया और यह वर्ष 2015-16 में ₹ 73,920 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था।

2017-20 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें विगत वर्ष (₹ 5,313 करोड़) की तुलना में 6.17 प्रतिशत (₹ 5,641 करोड़) की वृद्धि हुई। 2015-20 की अवधि के दौरान भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों में व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव आया और 2019-20 के दौरान यह ₹ 1,255 करोड़ के उच्चतम स्तर पर था। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 2.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2015-20 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियाँ	75,240	67,944	47,653	56,908	79,450
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	726	259	236	5,313	5,641
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	74,514	67,685	47,417	51,595	73,809
आंतरिक ऋण	73,920	66,654	46,314	50,791	72,554
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	111.00	(-)9.83	(-)30.52	9.67	42.85
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	594	1,031	1,103	804	1,255
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.22	73.57	6.98	(-)27.11	56.09
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	109.78	(-)9.16	(-)29.94	8.81	43.05
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	177.10	(-)64.33	(-)8.88	2,151.27	6.17
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	110.27	(-)9.70	(-)29.86	19.42	39.61

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के स्वयं

के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति 2019 (एमटीएफआरपी) एवं XIVवें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमान से क्रमशः 12.38 प्रतिशत और 18.93 प्रतिशत कम थी जैसा कि तालिका 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	XIVवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान / एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग अनुमान	बजट अनुदान / एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,51,500	1,40,176	1,22,826	(-)18.93	(-)12.38
करेतर राजस्व	44,344	30,633	81,705	84.25	166.72
करेतर राजस्व (निक्षेप निधि से प्राप्ति को छोड़ने के बाद)			10,525	(-)76.27	(-)65.64

स्रोत: XIVवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2019-20 के लिये उ0प्र0 का वार्षिक वित्तीय विवरण

2019-20 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व XIVवें वित्त आयोग एवं बजट अनुमान/एमटीएफआरपी में किये गये अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से बजट अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 5,748 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 4,192 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,143 करोड़) एवं स्टाम्प और निबन्धन शुल्क (₹ 3,109 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। XIVवें वित्त आयोग अनुमान एवं बजट अनुमानों के सापेक्ष करेतर राजस्व में अधिकता लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि के अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ के संचित निधि के अन्तर्गत करेतर राजस्व में अन्तरण के प्रभाव के कारण थी। निक्षेप निधि अवशेष के इस अन्तरण के कारण विविध सामान्य सेवाओं (मुख्य शीर्ष 0075) के अन्तर्गत करेतर राजस्व ₹ 14,051 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष ₹ 72,404 करोड़ था। वास्तव में निक्षेप निधि से बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के इस अन्तरण को छोड़ने के बाद करेतर राजस्व ₹ 10,525 करोड़ था जो कि XIVवें वित्त आयोग के अनुमान एवं बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी से कम था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। उप प्रस्तरों सहित यह प्रस्तर राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

राजस्व शीर्ष, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय को संस्थापित करता है। 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 2,86,277 करोड़ से 26.08 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 3,60,951 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 86,097 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो कि पूंजीगत परिव्यय (₹ 4,425 करोड़) और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण (₹ 6,698 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयी। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 80.37 प्रतिशत था और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण सहित पूंजीगत व्यय 19.63 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.79 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय 17.21 प्रतिशत था। इस प्रकार राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रमुख अंश था।

2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं राजस्व, पूंजीगत और ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत इसकी संरचना को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.6 में भी दर्शाया गया है।


तालिका 2.10: 2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टीई)	2,86,277	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951
राजस्व व्यय (आरई)	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
पूंजीगत परिव्यय (सीई) ³⁰	64,423	69,789	39,088	62,463	59,998
ऋण एवं अग्रिम	9,118	6,741	1,509	6,303	2,120
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
टीई/जीएसडीपी	25.16	24.27	21.01	22.21	20.11
आरई/जीएसडीपी	18.70	18.34	18.23	18.09	16.65
सीई/जीएसडीपी	5.66	5.41	2.68	3.74	3.34
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.80	0.52	0.10	0.38	0.12

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.6: अवधि 2015–20 के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, ऋण एवं अग्रिम तथा सहायता अनुदान के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.7 में प्रस्तुत किया गया है।


³⁰ वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान पूंजीगत व्यय में उदय योजना के अन्तर्गत व्यय क्रमशः ₹ 6,083 करोड़ तथा ₹ 3,700 करोड़ सम्मिलित था। वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीगत व्यय में अत्यधिक कमी मुख्य रूप से लघु/सीमान्त कृषकों के लिए कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹ 36,000 करोड़ के बजट प्रावधान के कारण थी।

चार्ट 2.7: 2015–20 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय को चार्ट 2.8 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2019–20 के दौरान घटकवार व्यय



चार्ट 2.8 दर्शाता है कि वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 30.71 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.09 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 16.38 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा,

उद्योग एवं खनिज एवं परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है। पूंजीगत व्यय (ऋण के सर्विस को छोड़कर) कुल व्यय का 15.65 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टीई)	2,86,277	3,13,122	3,06,821	3,70,494	3,60,951
राजस्व व्यय (आरई)	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.39	11.21	12.52	13.34	(-) 0.96
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	74.31	75.56	86.77	81.44	82.79
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.70	18.34	18.23	18.09	16.65
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	93.68	92.10	95.50	91.44	81.56
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.96	0.84	0.95	0.94	(-) 0.13
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.40	0.85	1.47	0.73	(-) 0.09


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसका अंश वर्ष 2015-16 में 74.31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 82.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2019-20 में (-) 0.96 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 24.39 प्रतिशत के उच्च स्तर के बीच व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ऋण के परिहार या कमी हेतु विनियोग के लिये प्रावधान (₹ 26,404 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹ 684 करोड़), आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 6,619 करोड़) और शस्य पालन (₹ 3,774 करोड़) के कारण थे।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में 18.70 से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.65 प्रतिशत हो गया। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.13 से स्पष्ट है कि राजस्व उछाल जो वर्ष 2018-19 में 0.94 था, वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण घटकर (-) 0.13 हो गया।

राजस्व व्यय को आगे सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र और सहायता अनुदान में विभाजित किया गया है। सामान्य क्षेत्र में राज्य के अंग, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, ब्याज भुगतान, ऋण की सर्विसिंग और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं। क्षेत्र/उप क्षेत्र वार राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



2.4.3 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



2.4.4 प्रतिबद्ध व्यय

2015–20 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन	74,439	85,416	85,076	91,413	1,00,188
(i) वेतन	33,881	37,547	43,490	50,471	53,508
(ii) मजदूरी	643	824	921	1,062	1,357
(iii) सहायक अनुदान (वेतन)	39,915	47,045	40,665	39,880	45,323
पेंशन	24,150	28,227	38,476	44,024	49,603
ब्याज भुगतान	21,448	26,936	29,136	32,042	34,813
योग	1,20,037	1,40,579	1,52,688	1,67,479	1,84,604
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	32.78	33.25	30.52	27.70	27.34
पेंशन	10.64	10.99	13.80	13.34	13.54
ब्याज भुगतान	9.45	10.49	10.45	9.71	9.50
योग	52.86	54.73	54.77	50.75	50.38
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन	34.99	36.10	31.96	30.30	33.53
पेंशन	11.35	11.93	14.45	14.59	16.60
ब्याज भुगतान	10.08	11.39	10.94	10.62	11.65
योग	56.43	59.42	57.35	55.51	61.78

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2018–19 की तुलना में 10.23 प्रतिशत (₹ 17,125 करोड़) की वृद्धि हुई। 2015–20 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में उतार-चढ़ाव रहा और वर्ष 2019–20 में यह कुल राजस्व व्यय के 61.78 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। प्रतिबद्ध व्यय के घटक वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.4.4.1 वेतन पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2019 को 12,40,155 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 53,508 करोड़ था। मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)³¹ तथा मानक मद 'मजदूरी' के अन्तर्गत व्यय धनराशि क्रमशः ₹ 45,323 करोड़ और ₹ 1,357 करोड़ को गणना में लेते हुए, वेतन मद पर कुल

³¹ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

व्यय ₹ 1,00,188 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 27.34 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 33.53 प्रतिशत था।

अग्रेतर, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय में वर्ष 2018-19 की तुलना में छः प्रतिशत (₹ 3,037 करोड़) की वृद्धि हुई है। तथापि, यह एमटीएफआरपी में राज्य सरकार द्वारा किए गए आकलन (₹ 63,927 करोड़) के सापेक्ष ₹ 10,419 करोड़ कम था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 14.60 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 17.91 प्रतिशत था।

2.4.4.2 ब्याज भुगतान

वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 12.87 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 21,448 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 34,813 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 की तुलना में, वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान में 8.65 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 2,898 करोड़ द्वारा) और छोटी बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 332 करोड़ द्वारा) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2015-16 में 9.45 प्रतिशत से 2019-20 में 9.50 प्रतिशत होकर 0.05 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। अग्रेतर, जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों द्वारा लिए गये गैर-बजट ऋण की सर्विसिंग पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 566.64 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान किया।

2.4.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2020 को 10.85 लाख पेंशनभोगी थे। 2015-20 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 24,150 करोड़ से ₹ 49,603 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2019-20 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 49,603 करोड़ (अवकाश नकदीकरण लाभों पर ₹ 1,972.36 करोड़ सहित) में विगत वर्ष (₹ 44,024 करोड़) के सापेक्ष 12.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार के योगदान के साथ अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति लाभों के अधिक भुगतान के कारण हुई थी, यद्यपि पेंशन के कम्प्यूटेशन मूल्य के अन्तर्गत व्यय में कमी हुई। वर्ष 2019-20 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.54 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 16.60 प्रतिशत था। तथापि राज्य सरकार ने डीसीपीएस के प्रति अपने सांविधिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि शासकीय योगदान की धनराशि ₹ 1,232.29 करोड़, यद्यपि जिसे 2019-20 में राजस्व व्यय के रूप में पुस्तान्कित किया गया, को 2019-20 के दौरान डीसीपीएस के लिये नामित मुख्य शीर्ष 8342 में हस्तान्तरित नहीं किया गया, जैसा कि प्रस्तर 4.3 में चर्चा की गयी।

2.4.4.4 सब्सिडी

2015-20 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	7,691	8,045	9,284	14,053	14,092
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.39	3.13	3.33	4.26	3.85
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.62	3.40	3.49	4.66	4.72

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 7,691 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 14,092 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 14,092 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 3.85 प्रतिशत और 4.72 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1,447.69 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग तालिका 2.14 में दिये गये।

तालिका 2.14: 2019-20 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	उर्जा	7,910.00	56	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 4,790 करोड़), यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 3,120 करोड़)।
83	समाज कल्याण	1,672.92	12	अनुसूचित जाति (₹ 1,490.91 करोड़) और अनुसूचित जनजाति (₹ 182.01 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना
11	कृषि	2,202.31	16	कृषि उत्पादन में सुधार (₹ 1,200 करोड़) और राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 413 करोड़) के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान।

2.4.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2015-20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.15 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2015-20 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क) पंचायती राज संस्थाएँ (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	3,069.63	7,572.31	10,096.44	16,209.80	12,517.71
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ)	598.84	1,002.05	1,208.46	3,081.35	9,059.97
योग (क+ख)	3,668.47	8,574.36	11,304.90	19,291.15	21,577.68
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम)	13,056.85	8,440.26	133.41	7,053.03	8,940.17
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएँ एवं अन्य)	1,584.81	2,295.33	5,405.83	6,436.96	37,393.78
(च) गैर-सरकारी संगठन	26,055.25	30,260.69	26,038.26	181.61	7,140.75
(छ) विविध	32,703.14	32,806.92	49,338.56	58,801.38	18,282.08
योग (ग+घ+च+छ)	73,400.05	73,803.20	80,916.06	72,472.98	71,756.78
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	77,068.52	82,377.56	92,220.96	91,764.13	93,334.46
राजस्व व्यय	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	2,98,833
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	36.23	34.82	34.64	30.41	31.23

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 93,334.46 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें ₹ 16,822.57 करोड़ की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि हुई, केवल वर्ष 2018-19 को छोड़कर जिसमें यह कुछ कम हुई। वर्ष 2015-16 के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें ₹ 16,265.94 करोड़ (21.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, यह 2015-16 में 36.23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 31.23 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2015-16 में ₹ 3,069.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 12,517.71 करोड़ हो गयी यद्यपि, वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान यह ₹ 3,692.09 करोड़ कम हो गयी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्गत अनुदान (₹ 2,732.44 करोड़) भी सम्मिलित है जो वर्ष 2018-19 की तुलना में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 6,328 करोड़ घट गयी।


2015-20 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2015-16 में ₹ 598.84 करोड़ से लगातार बढ़कर 2019-20 में ₹ 9,059.97 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें ₹ 5,978.62 करोड़ (194 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (₹ 4,170.27 करोड़) एवं स्मार्ट सिटी मिशन (₹ 114.00 करोड़) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के निर्गत होने के कारण थी। शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 6,420.69 करोड़ सम्मिलित थे।

स्वायत्त निकायों के प्रकरण में, वर्ष 2019-20 में ₹ 31,502.82 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद/प्राथमिक स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर केजी/नर्सरी स्कूल को ₹ 28,860.32 करोड़ की सहायता के वर्गीकरण के कारण थी जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान विविध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया।

2.4.5 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.11 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2015–20 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय



चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2015–20 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत के बीच रहा, यह वर्ष 2017–18 के दौरान कुल व्यय का न्यूनतम 12.74 प्रतिशत और वर्ष 2015–16 में उच्चतम 22.50 प्रतिशत था।

कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, तालिका 2.16 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.16: वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्र० सं०	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4801—ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (उत्पादन, पारेषण और वितरण गतिविधियों के लिए)	8,249
2	5054—सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	सड़क एवं पुल	21,376
3	4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद सिंचाई	4,448
4	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3,706
5	4408—खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह	3,890
6	4215—जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,384
7	4210— चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	पीएचसी, सीएचसी आदि का निर्माण	2,123
8	4216— आवास पर पूंजीगत परिव्यय	आवास	2,112

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20

वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत व्यय वर्ष 2018–19 में ₹ 62,463 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 59,998 करोड़ था। वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के

दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 2,465.38 करोड़ (3.95 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 924.13 करोड़ (27 प्रतिशत), आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 1,466.83 करोड़ (3.03 प्रतिशत) और सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 74.42 करोड़ (0.70 प्रतिशत) की कमी के कारण थी।

2.4.5.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	19,816.31	21,376.18	7.87
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	2,370.11	3,890.04	64.13
4406-वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय	216.97	714.67	229.39
4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13,409.18	8,248.83	(-) 38.48
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,893.49	651.86	(-) 65.57
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3,333.19	2,111.56	(-) 36.65

स्रोत: वित्त लेख 2019-20

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)— वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य परिवर्तन प्रमुख गतिविधियों जैसे राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य (₹ 759.38 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,799.35 करोड़), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,538.02 करोड़), गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (₹ 357.18 करोड़), राज्य की सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (₹ 366.87 करोड़), आदि पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय)— वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्नों के अधिक क्रय और आपूर्ति (₹ 1,574.12 करोड़) के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4406 (वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय)— वृद्धि मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक और फार्म वानिकी योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी (₹ 260.33 करोड़), पौध नर्सरी प्रबंधन योजना (₹ 159.62 करोड़) और गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना (₹ 75 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय)— कमी मुख्य रूप से एकीकृत विद्युत विकास योजना के कार्य के लिये अंश पूंजी में निवेश (₹ 863.42 करोड़) तथा भूमिगत केबलिंग के लिए यूपीपीसीएल को अंश पूंजी (₹ 196.43 करोड़) पर कम व्यय के कारण थी। विगत वर्ष (2018-19) की तुलना में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अन्तर्गत विद्युत के लिए शेयर पूंजी में कम निवेश (₹ 1,071.14 करोड़) हुआ।

मुख्य शीर्ष 4070 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)— कमी मुख्य रूप से न्यायिक भवनों के निर्माण के लिये अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान पर व्यय (₹ 116.62 करोड़) और प्रयागराज में कुंभ मेला 2019 पर व्यय (₹ 1,077.56 करोड़) में कमी के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय)— कमी मुख्य रूप से ग्रामीण आवास के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं पर व्यय (₹ 224.58 करोड़) में कमी और प्रधान मंत्री आवास योजना—ग्रामीण (₹ 1,051.25 करोड़) के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी।

2.4.5.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पर पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया। पीएसयू में निवेश की गई अंश पूंजी पर रिटर्न पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा निवेश पर रिटर्न, निवल मूल्य का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूंजी पर रिटर्न आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय 5 में विभिन्न प्रस्तारों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट IX अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों की सर्वासिंग के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है। परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक विभागवार अपूर्ण कार्यों (जिन्हें 31 मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था) और उसमें अवरुद्ध पूंजी की स्थिति तालिका 2.18 (अ) और (ब) में दी गई है।

तालिका 2.18 (अ) : 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	31 मार्च 2020 को अपूर्ण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2020 तक)
2015-16	1	2.55	2.42
2016-17	8	31.11	20.12
2017-18	14	670.98	586.87
2018-19	14	349.76	165.18
2019-20	206	5,142.66	6,178.24
योग	243	6,197.06	6,952.83

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

तालिका 2.18 (ब) : 31 मार्च 2020 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	223	4,198.32	3,210.92
सिंचाई	20	1,998.74	3,741.91
योग	243	6,197.06	6,952.83

स्रोत: वित्त लेखे 2019-20

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के दो प्रमुख विभागों (लोक निर्माण और सिंचाई विभाग) में, 243 परियोजनाएं (लोक निर्माण में 223 परियोजनाएं और सिंचाई विभाग में 20 परियोजनाएं) अपूर्ण थीं और परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2020 तक इन परियोजनाओं पर व्यय धनराशि ₹ 6,952.83 करोड़ का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ।

2.4.5.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) जो गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रही थी, के वित्तीय सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ किया (नवम्बर 2015)।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम के लिए और उसकी ओर से यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया गया था। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत और वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) दो वर्ष की अवधि में अधिग्रहण करने का प्रावधान करती है। तदनुसार, डिस्कॉम्स का ₹ 44,403 करोड़³² का बकाया ऋण का राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण वितरण कंपनियों को अनुदान, ऋण और इक्विटी के मिश्रण के रूप में स्थानांतरित कर दिये गये, जैसा कि तालिका 2.19 में वर्णित है।

तालिका 2.19: 31 मार्च 2020 को उदय के अन्तर्गत इक्विटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	11,353 ³³	6,083	12,166	29,602
2016-17	3,700	3,700	7,401	14,801
योग	15,053	9,783	19,567	44,403

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अग्रेतर, राज्य सरकार को डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, को एक चरणबद्ध ढंग से निम्नानुसार अधिग्रहण करना है।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली हानियाँ	वर्ष 2016-17 की हानि का 5%	वर्ष 2017-18 की हानि का 10%	वर्ष 2018-19 की हानि का 25%	विगत वर्ष की हानि का 50%

³² डिस्कॉम का 30 सितम्बर 2015 को प्रभावी बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था, जिसमें 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण ₹ 53,935 करोड़ तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान निर्गत ₹ 5,270 करोड़ के बांड सम्मिलित थे।

³³ 2015-16 (30 सितम्बर 2015 के पूर्व) के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 के अन्तर्गत निर्गत ₹ 5,270 करोड़।

एमओयू के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 4,891.72 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को उदय परियोजना के अन्तर्गत अनुदान में परिवर्तित किया और उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों में ₹ 2,400 करोड़ की हानियों का अधिग्रहण किया।

2.4.5.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।

वर्ष 2019–20 के लिए वित्त लेखे के खंड-I के अनुलग्नक एच में उन पीपीपी परियोजनाओं का विवरण दिया गया है, जहां विकासकर्ता चयनित किये गये हैं। यह विवरण एक सरकारी वित्तीय संस्थान यूपी के प्रदेशीय औद्योगिक और निवेश निगम (पिकप) द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रदान किया गया है। पीपीपी मोड के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण तालिका 2.20 में दिया गया है।

तालिका 2.20 : 2019–20 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	क्षेत्र	पूर्ण परियोजनाएँ		चल रही परियोजनाएँ	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	औद्योगिक विकास	-	-	1	13,782.00
2.	लोक निर्माण	-	-	9	8,083.40
3.	शहरी विकास	-	-	33	5,103.40
4.	ऊर्जा	-	-	14	66,488.64
5.	जल विद्युत	-	-	6	2,713.42
	योग	-	-	63	96,170.86

स्रोत : वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे

2.4.6 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

विवरण	ईई / जीएसडीपी	सीई / ईई	शिक्षा / ईई	स्वास्थ्य / ईई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2015–16)	16.97	14.81	15.68	4.79
उत्तर प्रदेश	25.16	22.50	16.14	4.70
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2019–20)	15.15	12.97	15.91	5.21
उत्तर प्रदेश	20.11	16.62	15.45	5.53


(ईई—कुल व्यय, सीई—पूँजीगत व्यय)

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में राज्य के कुल व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय का जीएसडीपी से अनुपात में गिरावट आयी, लेकिन यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-20 में शिक्षा पर व्यय के कुल व्यय से अनुपात में कमी आयी। यह भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से थोड़ा कम था। अग्रेतर, वर्ष 2019-20 में वर्ष 2015-16 की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के कुल व्यय से अनुपात में सुधार हुआ। यह भी वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से ऊपर था।

2.4.7 मानक मदवार व्यय

वर्ष 2019-20 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2019-20 में मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2019-20 के दौरान वेतन, वेतन के लिए सहायता अनुदान और पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय कुल व्यय का 35 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश और सब्सिडी पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 10.74 प्रतिशत, 9.25 प्रतिशत और 3.68 प्रतिशत हैं। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्य जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय कुल व्यय के क्रमशः 8.77 प्रतिशत और 10.61 प्रतिशत हैं।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शाई गई है तथा 2015-20 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2015–20 के दौरान घटक वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,534	1,619	2,530	3,646	3,314
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	0	0	1757
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	2,561	7,225	8,265	13,545	(-70,056)
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	92	187	220	184	883
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)1,635	(-)405	1,189	2,000	(-)2,990
	(स) अग्रिम	0	(-)83	4	12	17
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	300	152	(-)1,436	(-)236	(-)1,743
	(ब) अन्य लेखे	(-)977	440	(-)778	459	(-)85
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	(-)194	750	(-)3,910	329	308
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	(-)3	(-)2	4	(-)16	5
योग		1,678	9,883	6,088	19,923	(-)68,590

नोट : धनात्मक क्रेडिट अवशेष तथा ऋणात्मक डेबिट अवशेष को प्रदर्शित करता है ।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य के साथ-साथ भारत सरकार (जीओआई) के संचित निधि से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। राज्य आपदा अनुक्रिया निधि, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि, केंद्रीय सड़क निधि आदि के लिए भारत सरकार से अंशदान प्राप्त होता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है। वर्ष 2019–20 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

क्रियाशील तथा अक्रियाशील आरक्षित निधियाँ: वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में 35 आरक्षित निधियाँ (14 क्रियाशील और 21 अक्रियाशील निधियाँ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित थीं। वर्ष के दौरान अक्रियाशील निधियों में से 18 निधियों को राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और एक नई आरक्षित निधि खोली गई। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को ₹ 4,526.25 करोड़ के अवशेष के साथ कुल 18 आरक्षित निधियाँ अस्तित्व में थी। जिनमें इन 15 क्रियाशील निधियों में ₹ 4,505.58 करोड़ की अवशेष धनराशि थी और तीन अक्रियाशील निधियों में ₹ 20.67 करोड़ की अवशेष धनराशि मौजूद थी। अक्रियाशील आरक्षित निधियों के अन्तर्गत अवशेष राशि का अर्थ है कि ये निष्क्रिय निधि के रूप में पड़ी हैं। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न आरक्षित निधियों में (–) ₹ 68,298.52 करोड़ का निवल अन्तरण किया। ये सभी संव्यवहार बुक समायोजन की प्रकृति के थे और वास्तविक नकद अन्तरण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

ब्याज सहित और ब्याज रहित निधियाँ: वर्तमान आरक्षित निधियों में से, 17 ब्याज रहित निधियाँ थीं, जिनमें ₹ 2,768.94 करोड़ का अवशेष था और एक ब्याज सहित निधि³⁴ यथा "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि" थी। इसमें 31 मार्च 2020 को ₹ 1,757.31 करोड़ का अवशेष था। कुछ प्रमुख निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग (2005–10) ने अनुशंसा किया (नवम्बर 2004) कि सभी राज्यों द्वारा बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ के कारण देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिये निक्षेप निधि की स्थापना की जानी चाहिये। इस निधि का रखरखाव राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखे से अलग किया जाना चाहिये और इसका उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बाजार ऋणों/दायित्वों के परिशोधन को सुगम बनाने के लिये समेकित निक्षेप निधि का रख रखाव करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बकाया दायित्वों³⁵ के विमोचन के लिये समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ) का गठन³⁶ (मार्च 2020) किया। यह 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया गया था। नव सृजित सीएसएफ वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू होना है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया जायेगा। निधि का कोष जिसमें समय-समय पर अंशदान साथ ही साथ इस पर मिलने वाली आय शामिल है, को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। इस निधि से वर्ष 2024–25 तक आहरण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में वर्तमान निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि को समेकित निक्षेप निधि में स्थानान्तरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखे के अन्तर्गत वर्तमान निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य सरकार के करेतर राजस्व में अन्तरित किया (30 मार्च 2020)। ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अन्तरण एक बुक समायोजन था और इस संव्यवहार से राज्य सरकार को कोई नकद धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के पास ₹ 21,386.75 करोड़ का सामान्य नकद अवशेष था, जो कि निक्षेप निधि (करेतर राजस्व में हस्तांतरण से पूर्व) के अन्तर्गत बुक बैलेन्स से कम था। इस प्रकार राज्य सरकार निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रक्षित समेकित निक्षेप निधि में अंतरित करने की स्थिति में नहीं थी, जिसमें वास्तविक नकद अंतरण सम्मिलित होता। तथापि निक्षेप निधि की धनराशि घटकर शून्य होने से राज्य सरकार के पास ₹ 2,91,185.86 करोड़ की धनराशि के खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिये 31.03.2020 को निक्षेप निधि/समेकित निक्षेप निधि के अन्तर्गत कोई अवशेष धनराशि उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, 2020–21 से 2023–24 के दौरान उ0प्र0 राज्य विकास ऋण (बाजार ऋण) के ₹ 45,330 करोड़ को सम्मिलित करते हुए आंतरिक ऋण ₹ 89,047 करोड़ के पुनर्भुगतान हेतु देय थे।

वर्तमान निक्षेप निधि को बंद करते समय, राज्य सरकार ने संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित लेखा सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु शीर्ष लेखाओं की सूची (एलएमएमएच) के मुख्य शीर्ष

³⁴ एक निधि जिसमें जमा धनराशि पर राज्य सरकार द्वारा ऐसी दर पर ब्याज दिया जाना है जिसे सरकार निर्धारित करे।

³⁵ राज्य सरकार के आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व को मिलाकर परिभाषित।

³⁶ नोटिफिकेशन संख्या 52/X-2020-10(4)-2006 दिनांक 17.03.2020 द्वारा।

8222-निक्षेप निधि के अन्तर्गत नोट (1) निर्धारित करता है कि ऋण की परिपक्वता पर, इस शीर्ष के बकाया अवशेष को शीर्ष '8680-विविध शासकीय लेखे 101-लेजर अवशेष समायोजन लेखे' में जमा किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 13,877.20 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान किया। इस प्रकार निक्षेप निधि से ₹ 13,877.20 करोड़ विविध शासकीय लेखे (मुख्य शीर्ष 8680) में अन्तरित किया जाना वांछनीय था, इसके बजाय राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाओं-800-अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत) में अन्तरित एवं जमा कर दिया। इस प्रकार एलएमएमएच के मुख्य शीर्ष 8222 के नीचे नोट (1) में उल्लिखित लेखांकन प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण वर्ष में राजस्व प्राप्तियाँ अधिक दर्शायी गयीं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना वर्ष 2019-20 में निक्षेप निधि (₹ 57,303.03 करोड़) से अवशेष धनराशि का अन्तरण प्राप्तिपक्ष का एक असाधारण मद था।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 67,560.14 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,082.69 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के राज्य की राजस्व प्राप्ति के रूप में निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के अन्तरण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिये। अग्रेतर, वर्तमान निक्षेप निधि की करेतर राजस्व में जमा धनराशि का उपयोग उन ऋणों के परिशोधन के लिये नहीं किया जा सका, जिसके लिये इसे सृजित किया गया था। ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय विवेकशीलता की इस कमी के निराकरण की आवश्यकता है।

2.5.2.2 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

भारत सरकार (जीओआई) ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से प्रतिस्थापित किया। एसडीआरएफ का उपयोग मुख्य रूप से आपदा के पीड़ितों के व्यय की पूर्ति हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाना है। इस निधि के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र और राज्यों द्वारा एक निश्चित अनुपात में निधि में अंशदान किया जाना वांछनीय है। अंशदान को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में अन्तरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत के परिचालन के द्वारा किया जाना है। एसडीआरएफ के दिशा-निर्देश निम्नलिखित का निर्धारण करते हैं:

- निधि का परिचालन मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान आरबीआई के ओवरड्राफ्ट नियमन दिशानिर्देश के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज के आधार पर करेगी। ब्याज अर्धवार्षिकी आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ की प्राप्तियों को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अन्य ब्याज अर्जित करने वाले जमाओं में निवेश किया जाना है।

तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार अपने एसडीआरएफ को मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के नीचे 'ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ' श्रेणी के अन्तर्गत संचालित करती है। निधि में अवशेष धनराशि भी भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निवेश नहीं की जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान निधि में ₹ 820 करोड़ की धनराशि का योगदान किया गया, जिसमें ₹ 615 करोड़ भारत सरकार द्वारा और ₹ 205 करोड़ राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया अंशदान सम्मिलित है। इसके अलावा, ₹ 234.30 करोड़ केन्द्रीय अंश का बकाया तथा ₹ 78.10 करोड़ राज्यांश के रूप में (90:10 के अनुपात में) भी अंशदान किया गया था।

वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में एवं 01.10.2019 को, एसडीआरएफ के पास क्रमशः ₹ 956.94 करोड़ और ₹ 1,838.98 करोड़ का अवशेष था। अतः इस अवशेष धनराशि पर ₹ 116.55 करोड़ के कुल ब्याज (वर्ष 2019-20 में अर्द्धवार्षिक आधार पर ओवरड्राफ्ट पर लागू औसत ब्याज दर आगणित) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में किया जाना वांछनीय था। तथापि, राज्य सरकार ने दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार निधि के अनिवेशित अवशेष पर कोई ब्याज एसडीआरएफ में जमा नहीं किया। निधि को ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में रखे जाने के कारण अव्ययित धनराशि के निवेश नहीं किये जाने से निधि का कार्पस प्रभावित हुआ। अग्रेतर, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के राजस्व के साथ-साथ राजकोषीय अधिशेष ₹ 116.55 करोड़ अधिक बताया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत किये गये बाण्डों एवं अन्य उधार पर ऋण लेने वाली एजेंसी द्वारा डिफाल्ट होने पर सरकार द्वारा अपनी ऋण सर्विस दायित्वों को पूरा करने के लिये निर्गत प्रत्याभूतियों की लाभार्थियों द्वारा इनवोक होने की स्थिति में, राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया।

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति का विवरण वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दिया गया है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 में 23 इकाइयों यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋणों पर प्रत्याभूति प्रदान किया था। वर्ष 2019-20 के अंत में ₹ 1,18,696.49 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 4,439.64 करोड़ की निवल प्रत्याभूति (जीएसडीपी का लगभग 0.25 प्रतिशत) का निष्पादन किया। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष में प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं किया।

23 इकाइयों में से, 2019-20 में ₹ 4.93 करोड़ की प्रत्याभूति शुल्क केवल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से प्राप्त होनी थी, जो प्राप्त हो गयी। संघ और राज्य सरकारों पर लागू एलएमएमएच मुख्य शीर्ष (0075-विविध सामान्य सेवाएं-108-प्रत्याभूति शुल्क) के अन्तर्गत एक विशिष्ट लघु शीर्ष के रूप में प्रत्याभूति शुल्क के लेखांकन का प्रावधान करता है। तथापि, उत्तर प्रदेश के प्रकरण में यह पाया गया कि एलएमएमएच के प्रावधानों के अनुसार प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन नहीं किया जा रहा है।

2.5.2.4 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत, राज्य सरकार राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत एक विशिष्ट निधि की स्थापना करेगी जिसे प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) कहा जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित खण्ड के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना

है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां के नीचे लघु शीर्ष 129—एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा, बशर्ते निधि के केन्द्रीय अंश के 10 प्रतिशत को मासिक आधार पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि इसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानान्तरित किया जा सके।

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थिति: वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने एससीएएफ में जमा करने हेतु भारत सरकार से ₹ 1,819.63 करोड़ प्राप्त किया (अगस्त 2019)। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 62.32 करोड़ व्यय किया गया। 31 मार्च 2020 को, एससीएएफ में अवशेष ₹ 1,757.31 करोड़ था।

‘8336—सिविल जमा’ के अन्तर्गत ‘राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा’ और 8121—सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत ‘एससीएएफ’ के अधीन उपलब्ध अवशेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा तीन प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाना वांछनीय था। तथापि, राज्य सरकार ने वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ₹ 31.69 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया। इससे वर्ष के दौरान राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/राजकोषीय अधिशेष को ₹ 31.69 करोड़ अधिक बताया गया।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.6.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं से होता है। वित्त लेखे का विवरण 6 राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे तालिका 2.23 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.23 : अवधि 2015-20 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अवशेष कुल ऋण	3,67,251	4,23,224	4,67,842	5,18,095	5,02,412
लोक ऋण					
आन्तरिक ऋण	2,40,836	2,88,627	3,21,479	3,53,190	4,05,049
भारत सरकार से ऋण	13,658	13,250	12,812	11,980	11,529
लोक लेखा दायित्व	1,12,757	1,21,347	1,33,551	1,52,925	85,834 ³⁷
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.29	15.24	10.54	10.74	(-)3.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.28	32.80	32.03	31.06	28.00
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	1,13,502	1,13,172	90,052	1,13,504	1,12,696
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	75,557	84,099	74,570	95,293	1,63,192
उपलब्ध निवल निधियाँ	37,945	29,073	15,482	18,211	(-)50,496
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	33.43	25.69	17.19	16.04	(-) 44.81

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


तालिका 2.23 से स्पष्ट है कि अवधि 2015-20 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2015-16 में ₹ 2,40,836 करोड़ से 68 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,05,049 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि प्रस्तर 2.7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार ₹ 60,098 करोड़ के वास्तविक राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक था। अवधि 2015-20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम में कमी देखी गई है। अग्रेतर, लोकलेखा देनदारियों में 44 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष ₹ 71,180.23 करोड़ के राजस्व प्राप्तियों में अन्तरण के कारण आयी थी। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.03 प्रतिशत कम हो गया।

लोकऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2015-16 (33.43 प्रतिशत) से वर्ष 2018-19 (16.04 प्रतिशत) तक कमी की प्रवृत्ति थी। लोकऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के राजस्व प्राप्तियों के बुक अन्तरण के कारण ऋणात्मक अर्थात् (-) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी।

चार्ट 2.13 वर्ष 2019-20 के अन्त में राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।


³⁷ 2019-20 में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स के करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण थी।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2019–20 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा



अवधि 2015–20 के दौरान लिये गये लोकऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.14 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: अवधि 2015–20 के दौरान लिये गये लोकऋण के सापेक्ष पुर्नभुगतान



उपर्युक्त चार्ट 2.14 से स्पष्ट है कि अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 47 से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोकऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 से 53 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018–19 में न्यूनतम और वर्ष 2015–16 में अधिकतम थी। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 72 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 28 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

2.7 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की विवेकशीलता का सूचक है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे का संघटन	(-)58,475	(-) 55,988	(-) 27,810	(-)35,203	(+) 11,083
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(+)14,340	(+) 20,283	(+) 12,552	(+)28,250	(+)67,560
2 निवल पूंजीगत व्यय ³⁸	(-) 64,423	(-) 69,789	(-) 39,088	(-) 62,463	(-) 59,998
3 निवल ऋण एवं अग्रिम ³⁹	(-) 8,392	(-) 6,482	(-) 1,274	(-) 990	(+) 3,521
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)					
1 बाजार ऋण	25,300.84	36,904.42	37,178.00	33,306.67	55,825.80
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 803.44	(-) 408.59	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84
3 एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,338.68	(-) 4,531.58	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	28,004.73	15,418.15	317.32	3,275.84	1,155.20
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,534.36	1,619.10	2,530.12	3,645.59	3,313.67
6 जमा एवं अग्रिम	(-) 1,542.84	(-) 300.62	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80
7 उचन्त एव विविध	(-) 677.42	591.36	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11
8 प्रेषण	(-) 196.61	747.79	(-) 3,906.31	312.67	313.50
9 आरक्षित निधि	2,560.53	7,225.02	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52
10 आकस्मिकता निधि	157.21	(-) 176.04	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73
11 सकल घाटा	58,676.04	57,089.01	38,346.79	50,633.98	(-) 16,551.44
12 नगद अवशेष में आधिक्य (-)/कमी (+)	(-) 201.04	(-) 1,100.99	(-) 10,537.00	(-) 15,431.00	5,468.75
13 सकल राजकोषीय घाटा	58,475.00	55,988.02	27,809.79	35,202.98	(-) 11,082.69

नोट: राजकोषीय घाटा के आकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋण को कम करने में सहायक होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धि शील दायित्वों या उसके अतिरिक्त ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का ब्योरा राज्य द्वारा राजस्व और गैर ऋण प्राप्तियों से अधिक निधि की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न ऋणों का सहारा लेने की मात्रा को उद्घाटित करता है। राजकोषीय घाटा राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व व्यय और ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है।

³⁸ निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

³⁹ निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

चूँकि अवधि 2015–20 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था, बाजार ऋण, भारत सरकार से ऋण आदि सहित राजस्व लेखे पर अधिशेष का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया। अवधि 2015–20 के दौरान राजस्व अधिशेष में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। यह 2017–18 में न्यूनतम ₹ 12,552 करोड़ और 2019–20 में अधिकतम ₹ 67,560 करोड़ था। राजकोषीय घाटे में 2015–19 के दौरान परिवर्तनशील प्रवृत्ति थी। राजकोषीय घाटा वर्ष 2015–16 में ₹ 58,475 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 27,810 करोड़ हो गया और फिर 2018-19 में बढ़कर ₹ 35,203 करोड़ हो गया। जबकि, 2019–20 में, राज्य सरकार ने ₹ 11,083 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्शाया। तथापि, 2019–20 के दौरान राजस्व और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स के राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था। यदि वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के राजकोष में बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के निक्षेप निधि के अवशेष के इस बुक अंतरण को छोड़ दिया जाये तो वास्तव में, राजस्व घाटा ₹ 3,620.09 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 60,097.54 करोड़ था।

2.7.1 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को ₹ 5,02,412 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल बकाया वित्तीय दायित्वों में से ₹ 85,834 करोड़ लोक लेखे/अन्य दायित्वों की देनदारियों से संबंधित हैं। लोक ऋण (₹ 4,16,578 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.25 एवं चार्ट 2.15 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.25 : राज्य ऋण भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
0 – 1	24,711.75	5.93
1 – 3	50,751.85	12.18
3 – 5	48,491.48	11.64
5 – 7	89,578.87	21.51
7 एवं अधिक	1,98,881.08	47.74
अन्य ⁴⁰ (राज्य सरकार से मिलान के अधीन)	4,162.56	1.00
योग	4,16,577.59	100.00

स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा




⁴⁰ इस धनराशि की भुगतान अनुसूची का रख-रखाव महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा नहीं किया जाता है

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2020-21, 2021-23, 2023-25 और 2025-27 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 24,711.75 करोड़ (5.93 प्रतिशत), ₹ 50,751.85 करोड़ (12.18 प्रतिशत), ₹ 48,491.48 करोड़ (11.64 प्रतिशत) और ₹ 89,578.87 (21.51 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 1,98,881.08 करोड़ (47.74 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

2.7.2 ऋण संवहनीयता

ऋण संवहनीयता को भविष्य में अपनी ऋण देयता की सर्विस करने की राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता संकेतक चार्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं और तालिका 2.26 में संक्षेपित हैं।

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता संकेतक की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण ⁴¹ (₹ करोड़ में)	2,54,494	3,01,877	3,34,291	3,65,170	4,16,578
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	28.76	18.62	10.74	9.24	14.08
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57
लोक ऋण / जीएसडीपी	22.37	23.40	22.89	21.89	23.21
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.79	8.34	7.99	8.06	7.83

⁴¹ बकाया लोक ऋण मुख्यशरीर्ष 6003-आंतरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम में अवशेष का योग है

ऋण संवहनीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	7.75	9.03	9.12	8.54	8.36
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	23.72	30.00	31.64	40.15	30.35
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण ⁴²	39,233	24,177	7,000	2,694	20,784
ऋण प्राप्तियों ⁴³ के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	52.65	35.72	14.76	5.22	28.16
ऋण संवहनीयता ⁴⁴ (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	11,48,915	14,98,446	17,39,639	22,49,938	(-) 62,415

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के प्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की शुद्ध उपलब्धता को इंगित करते हुये यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

तालिका 2.26 का विश्लेषण इंगित करता है कि राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2015-16 के ₹ 2,54,495 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 4,16,578 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि ब्याज और अवशेष ऋण के भुगतान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिए उपलब्ध निवल ऋण की राशि लगातार घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 39,233 करोड़ से 2018-19 में ₹ 2,694 करोड़ हो गई और वर्ष 2019-20 में बढ़कर ₹ 20,784 करोड़ हो गई, यद्यपि यह लिए गए कुल ऋण का मात्र 28.16 फीसदी थी।

राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का अनुपात राज्य की ऋण संवहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज भुगतान में विगत वर्ष की तुलना में 0.23 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई और यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 8.36 प्रतिशत पर संस्थापित हुई। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित अनुपात (7.38 प्रतिशत) से अधिक था। इस प्रकार, ऋण स्थिरता वर्ष 2015-16 में ₹ 11,48,915 करोड़ की तुलना में घटकर वर्ष 2019-20 के लिए (-) ₹ 62,415 करोड़ हो गया था। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान औसत ऋण भुगतान व्यय ₹ 44,226.49 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 63,003.83 करोड़) का 70.20 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

⁴² राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

⁴³ लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण की उपलब्धता ऋण प्राप्तियों के उस स्तर को दर्शाती है जिस स्तर तक ऋण प्राप्तियों का पुराने ऋण के विमोचन में उपयोग किया गया है।

⁴⁴ क्वांटम स्प्रेड=ऋण स्टाक x इंटरैस्ट स्प्रेड एवं इंटरैस्ट स्प्रेड=(जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)

2.7.2.1 उधार लिये गये निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपयोग और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी को पूरा करने के लिए ऋण ली गई धनराशि का उपयोग स्थिर नहीं है। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : ऋण ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	लोक ऋण प्राप्तियाँ	74,514	67,685	47,417	51,595	73,809
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	17,673 (23.72)	20,303 (30.00)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)
3	शुद्ध पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	64,423 (86.46)	69,789 (103.11)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)
4	निवल ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	8,392 (11.26)	6,482 (9.58)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-3,521) (-4.77)
5	निवल उपलब्ध ऋण से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	-15,974 (-21.44)	-28,889 (-42.68)	-7,947 (-16.76)	-32,575 (-63.14)	-5,069 (-6.87)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि में ऋण (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय से कम था, अर्थात् लोक ऋण का भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के वितरण, जिसका तात्पर्य है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष से पूंजीगत लेखे पर व्यय की पूर्ति भी की गयी। तथापि जैसा कि प्रस्तर 2.6.1 में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार द्वारा 2019-20 की अवधि में पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज देयता इसकी लोक ऋण प्राप्ति के 47 प्रतिशत से 95 प्रतिशत था। इस प्रकार लोक ऋण का केवल 5 प्रतिशत से 53 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिये उपलब्ध था।

2.7.2.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूति उधारकर्ता, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में यह राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 20 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों की प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तालिका 2.28 में दी गई है।

तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़. में)

प्रत्याभूति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	78,825.64	66,702.21	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया राशि [#]	57,618.35	55,825.49	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49

ब्याज की सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी

अवशेष प्रत्याभूति वर्ष 2018-19 के ₹ 1,10,032.12 करोड़ से 7.87 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,18,696.49 करोड़ हो गयी, यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,66,393 करोड़) का 32.40 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में बकाया निवल प्रत्याभूति में वृद्धि ₹ 4,439.64 करोड़ की थी, जो कि जीएसडीपी का लगभग 0.25 प्रतिशत है। 31 मार्च 2020 को सकल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,18,696.49 करोड़ थी, जो मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 94,251 करोड़), औद्योगिक विकास विभाग (₹ 12,010 करोड़), लोक निर्माण विभाग (₹ 4,844 करोड़) और सहकारिता एवं चीनी उद्योग विकास विभाग (₹ 4,803 करोड़) से संबंधित थी। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के सापेक्ष प्रत्याभूति ऋण/ओवरड्राफ्ट की अदायगी, बांड/डिबेंचर निर्गत करके एकत्र की गई धनराशि और निर्धारित दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए दी गई थी।

अग्रेतर, वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 27,280.31 करोड़ के सापेक्ष ₹ 28,371.91 करोड़ की धनराशि की प्रत्याभूति दी गयी थी और यूपीईआईडीए के लिए प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 10,509.64 करोड़ की तुलना में ₹ 12,009.64 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की गयी। इस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्याभूति हेतु निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक धनराशि की प्रत्याभूति प्रदान की गयी थी।

2.7.3 नकदी का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष को समेकित निक्षेप निधि एवं प्रत्याभूति विमोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2019-20 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)


	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2020 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	171.10	236.04
अन्य बैंकों के पास जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	171.10	236.04
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	26,684.36	21,150.71
योग (अ)	26,855.46	21,386.75
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.96	10.91
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.49	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	45.20	45.20
योग (ब)	56.65	56.61
योग (अ+ब)	26,912.11	21,443.36

स्रोत: वित्त लेखा 2019-20

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 21,443.36 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 5,468.75 करोड़ (20.32 प्रतिशत) की कमी आई। वर्ष 2019-20 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 26,684.36 करोड़ था। ₹ 4,93,843 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 4,99,376.65 करोड़ की धनराशि के इन इन्स्ट्रुमेंट को बेच दिया गया, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 21,150.71 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 582.23 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश करने के राज्य सरकार के संव्यवहार वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,43,679 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गये लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ हो गये। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष अवधि 2015-16 से 2018-19 के दौरान (-) ₹ 213 करोड़ से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ हो गया जो वर्ष 2019-20 के दौरान घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया। राज्य सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.17 में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 2.17 : अवधि 2015–20 के दौरान बाजार ऋण के सापेक्ष नकद अवशेष



XIIIवें वित्त आयोग (एफसी) ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनों से निर्मित है⁴⁵।

2.7.3.1 नकद अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेष धनराशि की पुष्टि के प्रमाण पत्र के अनुसार, राज्य के पास ₹ 154.61 करोड़ का क्रेडिट अवशेष था जबकि माह 31 मार्च 2020 को राज्य का अंतिम नकद अवशेष जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्रमाणित किया गया, ₹ 236.04 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार के नकद अवशेषों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा गणना की गयी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया (31.03.2020 को), में पिछले वर्षों के अवशेष सहित ₹ 81.43 करोड़ का अंतर था जो समाधान के अधीन था।

अग्रेतर, एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी खाते में विलम्ब से प्रेषण/दोहरे/गलत भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया जाना वांछनीय है। इस आधार पर, अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2019 की अवधि के लिए सरकारी खाते में ₹ 714.31 करोड़ की धनराशि के विसंगतिपूर्ण मदों के सापेक्ष एजेंसी बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 4.69 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का दावा किया गया, यद्यपि, बैंकों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। यह प्रकरण महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया गया (अगस्त 2020) और इसके बाद, कोषागार निदेशालय ने राज्य के कोषागारों को संबंधित एजेंसी बैंकों से दंडात्मक ब्याज का दावा करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2020)। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान इस संबंध में आरबीआई/बैंकों द्वारा राज्य के खाते में दावा किया गया कोई ब्याज जमा नहीं किया गया। 2015–20 की अवधि में नकद अवशेष निवेश लेखा और उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

⁴⁵ XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41


तालिका 2.30: नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	595.35	1,196.44	601.09	113.76
2016-17	1,196.44	2,168.23	971.79	578.36
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-)5,533.65	596.15

वर्ष 2019-20 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18 : वर्ष 2019-20 के दौरान नगद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



2.8 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि की अवशेष धनराशि को वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेशित किया जाये न कि यह केवल बुक प्रवृष्टि हो। समेकित निक्षेप निधि में पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में वांछित है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधि में वार्षिक अंशदान बकाया देयताओं का कम से कम 0.5 प्रतिशत हो। अग्रेतर, निधि से अन्तरण को राजस्व प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिये और ऋण के विमोचन पर ऋण के पुनर्भुगतान के समान धनराशि को निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 (विविध शासकीय लेखे) में अन्तरित किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को "ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ" श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपाजित

ब्याज को निधि में प्रेषित करना चाहिए। राज्य सरकार को एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी करना आवश्यक है।

- राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं परिचालन करना चाहिये। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्याभूति शुल्क की शीघ्र वसूली हो। सरकार को उन संस्थाओं की वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिये जिन्होंने प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया है और/या जिनके लेखे बकाया हैं। अग्रेतर, प्रत्याभूति शुल्क का संग्रहण/लेखांकन मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुरूप किया जाना चाहिये।